भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद / INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH
वी. रामलिंगस्वामी भवन, नई दिल्ली - 110029 / V. Ramalingaswami Bhawan, New Delhi – 110029

संख्या / No.- A-44012/1/2026-ADMIN I-ICMR/301009 दिनांक / Date: ____नवंबर, 2026

कार्यालय ज्ञापन / OFFICE MEMORANDUM

विषय: बाह्य रोजगार (सीधी भर्ती) और प्रतिनियुक्ति के लिए एनओसी (NOC) आवेदनों पर कार्रवाई हेतु न्यूनतम समय-सीमा निर्धारित करने के संबंध में। Prescribing minimum time limit for processing of NOC applications for Outside Employment and Deputation - reg.

यह देखा गया है कि स्थापना अनुभाग को कर्मचारियों (प्रशासनिक एवं तकनीकी संवर्ग) से बाह्य रोजगार (सीधी भर्ती) और प्रतिनियुक्ति के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र अथवा अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रायः अंतिम समय में प्राप्त हो रहे हैं, जो कि अक्सर संबंधित विज्ञापन की अंतिम तिथि से केवल कुछ दिन पूर्व प्रस्तुत किए जाते हैं। It has been observed that the Establishment Section is frequently receiving applications from employees (Administrative & Technical Cadre) seeking No Objection Certificates/ Permission for Outside Employment (Direct Recruitment) and Deputation at the eleventh hour, often just a few days before the closing date of the respective advertisements.

2. ऐसे आवेदनों की प्रक्रिया में सेवा अभिलेखों की विस्तृत जांच, सतर्कता अनापत्ति (Vigilance Clearance) प्राप्त करना तथा सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना शामिल होता है। इस प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। अंतिम समय में ऐसे आवेदन प्राप्त होने से न केवल नियमित प्रशासनिक कार्य बाधित होते हैं, बल्कि संबंधित कार्य संभाल रहे कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव भी पड़ता है। Processing of such applications involves a detailed examination of service records, obtaining vigilance clearance, and seeking the approval of the Competent Authority. This process requires sufficient time. Last-minute receipt of such applications not only disrupts routine administrative functioning but also creates unwarranted pressure on the dealing staff.

3. अतः, प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने तथा एनओसी समयबद्ध रूप से जारी किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थापना अनुभाग में ऐसे आवेदनों की प्राप्ति हेतु न्यूनतम समय-सीमा निर्धारित की गई है। अब से निम्नलिखित समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए: Therefore, to streamline the process and ensure timely issuance of NOCs, the Competent Authority has prescribed a minimum time limit for the receipt of such applications in the Establishment Section. Henceforth, the following timelines must be strictly adhered to:

(i) बाह्य रोजगार (सीधी भर्ती) हेतु: आवेदन सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ विज्ञापन की अंतिम तिथि/आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से **कम से कम 07 दिन पूर्व** स्थापना अनुभाग में प्राप्त होना चाहिए। **For Outside Employment (Direct Recruitment):** The application with all relevant documents must reach the Establishment Section **at least 07 days** prior to the last date of submission/closing date of the advertisement.

(ii) प्रतिनियुक्ति हेतु: आवेदन सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ विज्ञापन की अंतिम तिथि/आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से **कम से कम 15 दिन पूर्व** स्थापना अनुभाग में प्राप्त होना चाहिए। **For Deputation:** The application with all relevant documents must reach the Establishment Section **at least 15 days** prior to the last date of submission/closing date of the advertisement.

….2/

4. इसके अतिरिक्त, **प्रतिनियुक्ति (Deputation) के मामलों में आवेदन अनिवार्य रूप से संबंधित प्रभाग प्रमुख (Head of Division) द्वारा अग्रेषित एवं अनुशंसित होने चाहिए।** अन्य मामलों में आवेदन संबंधित HoD/ ADG/ Sr. AO / Sr. ACO द्वारा विधिवत अग्रेषित किए जा सकते हैं। Furthermore, it is mandatory that **in cases of Deputation, the applications must strictly be forwarded and recommended by the respective Head of Division (HoD).** In other cases, applications may be duly forwarded by the respective HoD /ADG/ Sr. AO / Sr. ACO.

5. सभी संबंधितों के ध्यान में यह कड़ाई से लाया जाता है कि उपर्युक्त निर्धारित समय-सीमा के पश्चात स्थापना अनुभाग में प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार/कार्रवाई नहीं की जाएगी तथा ऐसे आवेदन बिना किसी प्रक्रिया के सीधे आवेदक को वापस कर दिए जाएंगे। **साथ ही, किसी भी परिस्थिति में कार्योत्तर (ex-post facto) अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाएगा।** It is strictly brought to the notice of all concerned that applications received in the Establishment Section beyond the above-stipulated time limits will not be entertained or processed, and will be summarily returned to the applicant. **Further, no ex-post facto approval will be granted under any circumstances.**

6. सभी प्रभाग प्रमुखों/नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों के संज्ञान में लाएं ताकि इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। All Divisional Heads/Controlling Officers are requested to bring the contents of this OM to the notice of all staff working under their administrative control for strict compliance.

7. इसे वरिष्ठ उप महानिदेशक (प्रशा.) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है। This issues with the approval of the Senior Deputy Director General (Admn).

Digitally signed by
Jaibir Singh
Date: 15-11-2026
11:17:53

(जयबीर सिंह / Jaibir Singh)
सहायक महानिदेशक (प्रशा.) / Assistant Director General (Admin)

सेवा में / To:

1. परिषद मुख्यालय के सभी प्रभाग प्रमुख / All Heads of Divisions, ICMR Hqrs.
2. परिषद मुख्यालय के सभी सहायक महानिदेशक/ वरिष्ठ प्र.अ./वरिष्ठ ले.अ./प्र.अ./ले.अ. / All ADsG/ Sr. AOs / Sr. ACOs / AOs / ACOs, ICMR Hqrs.
3. सभी स्टाफ (नोटिस बोर्ड / आईसीएमआर वेबसाइट द्वारा) / All Staffs (Through Notice Board / ICMR Website)
4. श्री एम.एस चालगा ,वैज्ञानिक-ई/ Sh. M.S. Chalaga, Sci-E - आईसीएमआर वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ/ with request to upload on ICMR website.
5. गार्ड फ़ाइल / Guard File.